ईमेल / समयबद्ध / महत्वपूर्ण

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(मा0),उ0प्र0,
शिक्षा सामान्य(1)तृतीय अनुभाग,
प्रयागराज।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश।

2–समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकःसामान्य(1)तृतीय/707–990 /2022–23, दिनांक 07-5- 2022

विषयः अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों पदोन्नति हेतु निर्धारित पदों पर समयान्तर्गत पदोन्नति की कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयनबोर्ड अधिनियम, 1982 के अध्याय–तीन के नियम–12 में निम्नवत् व्यवस्था विहित हैः–

12.पदोन्नति द्वारा चयन की प्रक्रियाः–(1) प्रत्येक सम्भाग के लिए, अध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए एक चयन समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित होंगेः–

(एक) सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक – अध्यक्ष
(दो) सम्भाग में राजकीय इ0का0 का ज्येष्ठतम प्रधानाचार्य – सदस्य
(तीन) सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक – सदस्य–सचिव

(2) अध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाये।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयनबोर्ड नियमावली, 1998 के भाग–तीन के नियम–14 में निम्नवत् व्यवस्था विहित हैः–

14–पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया–(1) जहॉ कोई रिक्ति पदोन्नति द्वारा भरी जानी हो, वहॉ प्रशिक्षित स्नातक(एल0टी0) श्रेणी या अध्यापन प्रमाण पत्र (सी0टी0) श्रेणी यदि कोई हो, जो पद के लिए विहित अर्हतायें रखते हों और ऐसी भर्ती के वर्ष के प्रथम दिनांक को इस रूप में पॉच वर्ष की निरन्तर नियमित सेवा की हो, यथास्थिति प्रवक्ता श्रेणी या प्रशिक्षित स्नातक (एल0टी0) श्रेणी में पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा चाहे उन्होंने उसके लिए आवेदन पत्र दिया हो या नहीं।

टिप्पणीः– इस उपनियम के प्रयोजनार्थ किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्था में की गयी नियमित सेवा की गणना पात्रता के लिए की जायेगी जब तक कि हटाये जाने, पदच्युत किये जाने या निम्न पद पद पदावनत किये जाने से उसमें व्यवधान न हुआ हो।

(2) पदोन्नति के लिए मानदण्ड, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता होगी।

(3) प्रबन्धतंत्र उपनियम(1) में निर्दिष्ट अध्यापकों की एक सूची तैयार करेगा और उस ज्येष्ठता सूची की एक प्रति, सेवा अभिलेख (जिसके अन्तर्गत चरित्र पंजियां भी है) और परिशिष्ट "क" में दिये गये निर्देश में एक विवरण–पत्र के साथ, निरीक्षक को अग्रसारित करेगा।

Scanned with CamScanner

(4) उपनियम(3) के अधीन प्रबन्धतन्त्र से सूची प्राप्त होने के तीन सप्ताह के भीतर निरीक्षक अपने कार्यालय के अभिलेखों से तथ्यों का सत्यापन करेगा और सूची संयुक्त निदेशक को अग्रसारित करेगा।

(5) संयुक्त निदेशक उपनियम(3) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले पर विचार करेगा और ऐसी अतिरिक्त सूचना जिसे वह आवश्यक समझे माँग सकता है। संयुक्त निदेशक अभिलेखों को धारा 12 उपधारा(1) में निर्दिष्ट चयन समिति के समक्ष रखेगा और समिति की संस्तुति के पश्चात् चयनित अभ्यर्थियों के पैनल को एक माह के भीतर निरीक्षक को और उसकी एक प्रति प्रबन्धतन्त्र को अग्रसारित करेगा।

(6) उपनियम(5) के अधीन संयुक्त निदेशक से पैनल की प्राप्ति पर दस दिन के भीतर निरीक्षक चयन किये गये अभ्यर्थी के नाम संस्था के प्रबन्धतन्त्र को, जिसने रिक्तियों को अधिसूचित किया है, भेजेगा और प्रबन्धतन्त्र अपने संकल्प के अधीन प्राधिकृत किये जाने पर ऐसे अभ्यर्थी को परिशिष्ट ''च'' में दिये गये निर्देश में नियुक्ति का आदेश जारी करेगा।

उक्त के अतिरिक्त इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अध्याय–दो के विनियम–06 में निम्नवत् व्यवस्था विहित है:–

विनियम–6(1)– जहाँ विनियम–5 के अधीन यथा अवधारित प्रवक्ता श्रेणी में या एल0टी0 श्रेणी में कोई रिक्ति पदोन्नति द्वारा भरी जानी हो वहाँ यथा स्थिति एल0टी0 या सी0टी0 श्रेणी में कार्यरत ऐसे सभी अध्यापकों के सम्बन्ध में जिनकी उक्त रिक्ति होने के दिनांक को न्यूनतम 05 वर्ष की लगातार मौलिक सेवा हो, प्रबन्ध समिति द्वारा पदोन्नति के लिए उसके निमित्त उनके आवेदन किए बिना ही विचार किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह है कि वे उस विषय में जिसमें प्रवक्ता श्रेणी में या एल0टी0 श्रेणी में अध्यापक की आवश्यकता हो, अध्यापन के लिए विहित न्यूनतम अर्हता रखते हों............।

यद्यपि 31 मार्च, 2022 को सेवानिवृत्त होने से रिक्त पदों पर पदोन्नति संबंधी कार्यवाही जनपद/मण्डल स्तर पर गतिमान होगी, फिर भी राज्य सरकार द्वारा सरकार के गठन के 100 दिन के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पदोन्नति हेतु रिक्त पदों पर शतप्रतिशत पदोन्नति की कार्यवाही पूर्ण किए जाने का संकल्प लिया गया है। अतः सरकार की प्राथमिकता के दृष्टिगत प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में निम्नलिखित सारिणी के अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें:–

निर्धारित अवधि	कार्यवाही
24–05–2022 तक	समस्त संस्था प्रबन्धकों द्वारा उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा सेवा चयनबोर्ड नियमावली,1998 के नियम–14 के उपनियम(3) में विहित व्यवस्थानुसार दिनांक 24–05–2022 तक सूची तैयार कर ज्येष्ठता की एक प्रति, पदोन्नति हेतु प्रस्तावित अध्यापकों के सेवा अभिलेख (जिसके अन्तर्गत चरित्र पंजिका भी है) और परिशिष्ट ''क'' में दिये गये निर्देश में एक विवरण पत्र के साथ, सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को अग्रसारित किया जायेगा।
31–05–2022 तक	प्रबन्धतन्त्र से उक्त सूची प्राप्त होने पर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा दिनांक 31–05–2022 तक प्रत्येक दशा में अपने कार्यालय के अभिलेखों से तथ्यों का सत्यापन करते हुए सूची सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को अग्रसारित किया जायेगा।
15–06–2022	सम्बन्धित संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा उपनियम (3) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले पर विचार किया जायेगा और अभिलेखों को धारा 12 की उपधारा(1) में निर्दिष्ट चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा तथा समिति की संस्तुति के पश्चात् चयनित अभ्यर्थियों के पैनल को दिनांक 15–06–2022 तक जिला विद्यालय निरीक्षक को और उसकी एक प्रति सम्बन्धित प्रबन्धतन्त्र को अग्रसारित किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

22-06-2022	उपनियम (5) के अधीन संयुक्त शिक्षा निदेशक से प्राप्त पैनल को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अभ्यर्थियों के नाम सम्बन्धित संस्थाओं के प्रबन्धतन्त्रों को दिनांक 22-06-2022 तक प्रेषित किया जायेगा।
30-06-2022	पैनल प्राप्त होने के उपरान्त सम्बन्धित प्रबन्धतन्त्र द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थियों को परिशिष्ट "च" में दिये गये निर्देशानुसार दिनांक 30-06-2022 तक नियुक्ति का आदेश जारी किया जायेगा।

समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक उक्त समय-सारिणी के अनुसार समयान्तर्गत कार्यवाही पूर्ण करायेंगे। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।

भवदीय,

डा0(महेन्द्र देव)
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याःसामान्य(1)तृतीय/ 787-990 /2022-23 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-05, लखनऊ।

2- वैयक्तिक सहायक,शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उ0प्र0,लखनऊ को शिक्षा निदेशक(मा0) द्वारा दिनांक 28-04-2022 को पत्रावली पर दिये गये निर्देश के क्रम में।

7/5/22

डा0(महेन्द्र देव)
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश।

Scanned with CamScanner